

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
शृंखला न्यायालय-बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./14/2017  
Filing No. C.R.A./ 512 /2017  
CNR MP 500500008002017  
संस्थित दिनांक - 21.12.2015

आदिल रसीद खान आयु 31 वर्ष आत्मज अकबर खान  
निवासी-ग्राम मोहगांव थाना मलाजखण्ड  
जिला बालाघाट {म.प्र.}

अपीलार्थी।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड, जिला बालाघाट

उत्तरवादी

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्र.क्र.-197/2009 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 से परिवेदित होकर धारा 374 द.प्र.सं. के अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक 04 जुलाई 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 197/2009 शासन बनाम आदिल रसीद में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2015 में धारा 304-ए भा.द.वि. में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रु. के अर्थदण्ड तथा म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रु. के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से परिवेदित होकर पेश की गई है।

2. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 08.03.2009 को मृतिका का पति लल्लू गिरी ने थाना बैहर आकर इस आशय का मर्ग कायम कराया कि उसकी पत्नी सागनबाई के हाथ, पैर में दर्द, बुखार होने से उसने डॉ. ए.आर. खान मोहगांव के पास ईलाज कराया, डॉक्टर के द्वारा मृतिका के

दोनों हाथों में इंजेक्शन लगाया, दवाई गोली दी, एक घंटा पश्चात् दाहिने हाथ में सूजन आ गई, फफोले आ गए तब दूसरे दिन पुनः ईलाज करवाया, ठीक नहीं हुई तबियत ज्यादा खराब होने लगी तो बैहर के चांदसी डॉक्टर, राहंगडाले डॉक्टर के पास लेकर गये जिन्होंने ईलाज करने से इंकार कर दिया, मोहगांव आरोपी के पास लाये जिसने सीरियस केस होना देखकर बालाघाट जाने की सलाह दी, मारुति ने क्रमांक एम.पी. 50 बी.सी. 175 से बालाघाट जाते समय ग्राम लौगुर के पास सागनबाई की मृत्यु हो गई, जिस इंद्रमणि पटेल थाना प्रभारी ने मर्ग जाँच कर शव पंचायतनामा तैयार किया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया, विसरा प्रज्वर कर मेडिकल संस्थान परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जमा कराया गया, विवेचना उपरांत साक्षीगण के कथन लेख किए गए, मौकानक्शा बनाया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया, संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंडित कर त्रुटि की है, प्रथम सूचना विलंब से दर्ज कराए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध का गठन नहीं होता है, साक्षियों के कथनों सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, डॉ. एच.के. पंवार अ.सा. 4 के कथनों पर विश्वास कर त्रुटि की है, सागनबाई की मृत्यु अपीलार्थी की किसी उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक ईलाज किए जाने से हुई यह स्थापित नहीं है। चिकित्सक साक्षी डॉ. एम. मेश्राम ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि मृतिका की वैजाईना और गर्भाशय का आकर, गर्भाशय के अंदर खून के थक्के होना बताते हुए संपूर्ण गर्भाशय के के कंजेस्टेट होने से गर्भपात की कोशिश दवाइयों से आंतरिक क्रिया से किया जाना प्रतीत होता है, चिकित्सक साक्षी ने मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं बताया है, परीक्षण रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु रासायनिक विष से नहीं होना दर्शित है, मृतिका को यदि इंजेक्शन लगाया जाता तो अवश्य ही शरीर में रासायनिक विष पाया जाता, अभियुक्त द्वारा कृत्य किया जाना स्थापित नहीं होता है, मेडिकोलीगल संस्थान भोपाल को प्रेषित विसरा के संबंध में दिए गए अभिमत को समझने में त्रुटि की है, विचारण न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य को समझने

में त्रुटि की है, धारा 24 आयुर्विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्ष्य को समझने में त्रुटि की है, अपीलार्थी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर है, प्रतिपरीक्षण की कोई व्याख्या नहीं की है, न्यायदृष्टांतों की विवेचना नहीं की है, तथ्यों एवं विधिक सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित किया है, दण्डादेश अपास्त कर अपील स्वीकार किए जाने की याचना की है।

4. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र.क. 197/2009, शासन विरुद्ध आदिल रसीद निर्णय दिनांक 11.12.2015 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

5. लल्लू गिरी (अ.सा.1) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह आरोपी को जानता है। वह अपने परिवार सहित हारमोनियम सुधारने के लिए 10-15 दिन के लिए ग्राम मोहगांव गया था। तुलाराम के घर के पास आम के पेड़ के नीचे रुके थे वहाँ पर साक्षी की पत्नी सागनबाई की तबीयत खराब हो गई थी। उसे लेकर साक्षी बुधवार के दिन हाजिर अदालत डॉक्टर के पास लेकर गया था। आरोपी ने साक्षी की पत्नी के दोनों हाथों में इंजेक्शन लगाया। फिर वह वापस आ गया। दोनों हाथों में सूजन, जलन पड़ गई थी तो गुरुवार के दिन फिर से वह अपनी पत्नी को आरोपी के पास ले गया तब आरोपी ने कहा कि वह ईलाज करके ठीक कर देगा और फिर आरोपी ईलाज करते रहा। शनिवार को ज्यादा तबीयत खराब होने पर आरोपी ने वाहन की व्यवस्था करके दी जिसमें साक्षी उसकी पत्नी को बालाघाट लेजा रहा था, लौगुर की जंगल में साक्षी की पत्नी की मृत्यु हो गई वहाँ से अपनी पत्नी की लाश को लेकर वापस मोहगांव आ गए, उसके बाद मलाजखण्ड थाना गए।

6. पद क्रमांक 2 में कथन दिया है कि पुलिस ने पूछताछ कर रिपोर्ट लेख की थी। साक्षी की पत्नी की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दी, पुलिस ने पूछताछ की। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि वह अभियुक्त से पूर्व से परिचित था। स्वयं का ईलाज भी पहले अभियुक्त से

करवाया है। साक्षी की पत्नी सागनबाई को क्या बीमारी थी, की जानकारी नहीं है। यह इंकार किया है कि सागनबाई गर्भवती थी। यह इंकार किया है कि साक्षी की पत्नी का गर्भपात करने का प्रयास देशी दवाईयां देकर किया था। यह इंकार किया है कि गर्भपात हेतु दी गई दवाईयों के रिएक्शन के कारण साक्षी की पत्नी की मृत्यु हुई थी।

7. पद क्रमांक 4 में प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह अपनी पत्नी को अभियुक्त के दवाखाना ले गया था उस समय साक्षी की सास, साढ़ू भाई अनिल साथ में था। अभियुक्त ने साक्षी की पत्नी को कौन सा इंजेक्शन लगाया, की जानकारी नहीं है। साक्षी की पत्नी की हाथ में सूजन, जलन आने के बाद उसी दिन आरोपी के पास नहीं गए। स्वतः कहा कि दूसरे दिन बस्तरवार गए थे। गुरुवार के दिन आरोपी ने साक्षी की पत्नी के हाथों में मलम लगाया था और इंजेक्शन कमर में लगाया था। यह इंकार किया है कि बुधवार के बाद सीधे शनिवार आरोपी के पास गया था। स्वतः कहा कि शुक्रवार भी गया था। यह स्वीकार किया है कि ग्राम मोहगांव में साक्षी ने उसकी पत्नी के उपचार के लिए दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाया। ज्यादा तबीयत खराब होने पर साक्षी ने पत्नी को बैहर लाया था। डॉ. चांदसी और डॉ. राहंगडाले ने साक्षी की पत्नी का ईलाज किया था, इंकार किया है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी ने उसकी पत्नी को बैहर लाया था तब सरकारी अस्पताल में नहीं दिखाया।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि मोहगांव से लगा मलाजखण्ड है वहाँ बड़ा सरकारी अस्पताल है वहाँ साक्षी ने पत्नी का ईलाज नहीं कराया। इसी पद में स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी के बीमार होने से मृत्यु तक साक्षी ने आरोपी की कहीं कोई शिकायत नहीं की। स्वतः कहा कि आरोपी ने कहा था कि वह ठीक कर देगा। यह स्वीकार किया है कि उन्होंने रास्ते में कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई। पद क्रमांक 6 में इंकार किया है कि आरोपी के साक्षी की पत्नी का ईलाज साक्षी ने नहीं कराया था। यह इंकार किया है कि साक्षी की पत्नी की मृत्यु आरोपी के ईलाज से नहीं हुई। यह इंकार किया है कि साक्षी की पत्नी की मृत्यु गर्भपात के कारण हुई थी। यह



इंकार किया है कि आरोपी से अवैध वसूली किया था और इसी कारण आरोपी के विरुद्ध सोच-समझकर झूठी शिकायत की थी।

9. रामकुंवरबाई (अ.सा.15) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि वह उपस्थित आरोपी को जानती है। दो-ढाई साल पहले साक्षी ने अपना डेरा मोहगांव में आम के पेड़ के नीचे लगाया था। साक्षी मृतक सगनबाई को जानती है। एक रात मृतक की तबीयत खराब हो गई थी उसे आरोपी के पास ले गये, उसने इंजेक्शन लगाया उसके बाद उसे लेकर आ गए। जहाँ इंजेक्शन लगाया था उसे जलन होने लगी। दूसरे दिन फिर से आरोपी के पास ईलाज के लिये लेकर गए थे, आरोपी ने ईलाज किया, मल्हम वगैरह लगाया। आरोपी के पास मृतक को तीन बार लेकर गए थे। आखरी बार आरोपी ने कहा कि वह कार बना देता है, बालाघाट अस्पताल लेजा लो, किंतु बालाघाट पहुंचने के पहले ही मृतक सगनबाई की मृत्यु हो गई।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में इंकार किया है कि घटना के समय सागनबाई गर्भवती थी। यह इंकार किया है कि सागनबाई का गर्भपात करने देशी दवाई दिए थे जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। पद क्रमांक 3 में इंकार किया है कि डॉ. चांदसी और डॉ. राहंगडाले से सागनबाई का ईलाज कराए थे, सागनबाई को डॉ. एच.के. पवार के पास ईलाज के लिये लेकर नहीं गये थे। यह स्वीकार किया है कि मलाजखण्ड, मोहगांव, बैहर में सरकारी अस्पताल में सागनबाई को ईलाज के लिए लेकर नहीं गए थे। यह इंकार किया है कि पैसों की लालच में आरोपी को झूठा फंसाया है। पद क्रमांक 4 में इंकार किया है कि मृतिका सागनबाई को आरोपी के पास ईलाज के लिए लेकर नहीं गये थे। यह इंकार किया है कि आरोपी ने सागनबाई को इंजेक्शन नहीं लगाया था।

11. अनिल (अ.सा.6) ने साक्ष्य दी है कि उपस्थित आरोपी को जानता है, सागनबाई को भी जानता है। वर्ष 2009 में पूरे परिवार सहित काम धंधे के सिलसिले में मोहगांव गए थे, 04 तारीख को सागनबाई की तबीयत खराब हो गई थी तब आरोपी कि डिस्पेंसरी लेकर गये, आरोपी ने ईलाज किया उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई फिर 05 तारीख को पुनः आरोपी के पास लेकर गए। सागनबाई की तबीयत ठीक नहीं हुई तो शुक्रवार फिर आरोपी के

पास सागनबाई को लेकर गए, आरोपी को बताया कि सागनबाई की तबीयत ठीक नहीं हुई है तो आरोपी ने कहा कि ठीक है वह ईलाज करता है, 2-3 दिन रेग्युलर आना पड़ेगा। आरोपी ने इंजेक्शन लगाया, सागनबाई के हाथ में फफोले आ गये थे, शरीर गलने लगा था, तड़पने लगी थी। शनिवार को आरोपी के पास गए तो उसने कहा कि इसे लेकर बालाघाट चले जाओ।

12. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 1 में आगे साक्ष्य दी है कि वे सागनबाई को लेकर बैहर में डॉ. पंवार के पास गए तो डॉ. पंवार ने कहा कि जिस डॉ. से ईलाज किया है उस डॉ. के पास ले जाओ दवाई रिएक्शन कर गई है हम हाथ नहीं डालते। तब वे सागनबाई को लेकर आरोपी के पास मोहगांव गए, आरोपी ने कहा कि बालाघाट में उसके परिचित डॉ. खान के पास चले जाओ पूरा खर्च वह देगा, उसे कहा कि पैसों की बात नहीं है बस मरीज ठीक हो जाए। आरोपी को साथ चलने कहा तो आरोपी ने कहा कि डिस्पेंसरी में बहुत काम है तुम लोग चले जाओ। सागनबाई को लेकर मोहगांव से बालाघाट के लिये निकले तो लौगुर के जंगल में सागनबाई की मृत्यु हो गई फिर मोहगांव आकर मलाजखण्ड थाने में रिपोर्ट की।

13. पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि पुलिस ने साक्षी के समक्ष लल्लू गिरी से दवाईयां और कागज जप्त कर जप्तीपत्र प्र.पी. 4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव पंचनामा कार्यवाही कर प्र.पी. 5 का पंचनामा बनाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 लगायत 8 में आयी संपूर्ण साक्ष्य के अध्ययन से मूल प्रकरण के तात्विक बिंदु पर उपरोक्त लेख साक्ष्य का खण्डन नहीं होता है तथा संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लल्लू गिरी (अ.सा.1), रामकुंवरबाई (अ.सा.15) के कथनों का समर्थन इस साक्षी के शपथ पर लेख कथनों से होता है।

14. हरिओम चौहान (अ.सा.2) वार्डबॉय, मनोज कुमार (अ.सा.3) कोटवार, देवेन्द्र बघेल (अ.सा.5), एन.आर. मस्के (अ.सा.11) पटवारी, समलसिंह (अ.सा.12), तिलकचंद (अ.सा.13) आरक्षक, सद्दाम खान (अ.सा.14), पंचूलाल (अ.सा.16), आरक्षक संतोष (अ.सा.17), तामस कुमार चौधरी (अ.सा.10) के मुख्य

कथन और प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य का उपयोग गुणदोष के लिए न होने से लेख नहीं किया जा रहा है।

15. डॉ. एच.के. पंवार (अ.सा.4) ने शपथ पर साक्ष्य दी है कि वह आरोपी को जानता है। मृतक सागनबाई को जानता है। घटना करीब एक वर्ष पूर्व की है। घटना के दिन मृतिका सागनबाई को उनके पति व अन्य लोग लेकर आए थे, मृतिका के हाथ में इंफेक्शन था, सूजन थी, पस निकल रहा था। मृतिका के पति ने बताया था कि सागनबाई का ईलाज मोहगांव के डॉ. आदिल खान जो आरोपी है के द्वारा किया गया था। घटना के दिन साक्षी ने मृतिका ईलाज नहीं किया था। हॉस्पिटल में जाँच कराने कहा था, पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3-4 में आयी साक्ष्य का अध्ययन कर विचार में लिया गया। मुख्य बिंदु पर साक्षी के कथन का खंडन नहीं है।

16. डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.8) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 08.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। इस दिनांक को आरक्षक तिलक क्रमांक 880 थाना मलाजखण्ड ने श्रीमती सागनबाई पत्नी लल्लू उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कोहका का शव परीक्षण हेतु लाया था। शव की पहचान लल्लू, बहन दामाद अनिल, बहन दामाद सुरेश द्वारा की गई। शव के निचले भाग में दोनों पैरों में मृत्यु पश्चात् की अकड़न मौजूद थी, शरीर चित्त अवस्था में जमीन पर था, पूरे शरीर पर सूजन थी, जीब बाहर की ओर निकली थी।

17. मृतिका के बाएं कान, दाहिने ऊपरी भुजा, दाहिनी कलाई, छाती का उपरी भाग, दाहिनी बगल, पेट का दाहिना हिस्सा, बायीं छाती का बाहरी हिस्सा पर फफोले पाए गए थे, संपूर्ण पेट फूला हुआ था, पूरी पीठ पर, दोनों कूल्हों पर फफोले थे, दोनों जांघों पर फफोले थे। शरीर से दुर्गन्ध आ रही थी। पेट के दाहिने भाग पर मक्खी के अण्डे पाए गए, फफोले के नीचे की चमड़ी पीले रंग की थी, ऊपरी चमड़ी काले-गहरे रंग की थी, शरीर के अन्य जगहों पर रंग सामान्य था।

18. इसी साक्षी ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि आंतरिक परीक्षण में पाया कि शरीर सड़न की प्रारंभिक अवस्था में है। खोपड़ी, कपाल, केशलिका, झिल्ली, मस्तिष्क, मेरुरज्जू, फुफ्फुस, हृदय, यकृत, दोनों गुर्दे पीलापन लिए हुए थे, दाहिना बायां फेफड़ा सिकुड़ा हुआ था, कोमलता लिए हुए थे, प्रारंभिक सड़न की अवस्था थी, मूत्राशय खाली था, हृदय के बाएं कक्ष में रक्त का थक्का था, दाहिना कक्ष खाली था। बाहरी और भीतरी जनेन्द्रियों में वैजाईना सिकुड़ा हुआ था तथा खून के थक्के जमे थे। गर्भाशय के अंदर खून के थक्के जमा थे। गर्भाशय का आकार 4 इंच गुणा 4.5 इंच का था।

19. पद क्रमांक 3 में साक्षी ने कथन किया है कि वैजाईना और गर्भाशय का आकार तथा गर्भाशय के अंदर पाए गए खून के थक्के, संपूर्ण गर्भाशय के कंजस्टड होने से ऐसा प्रतीत होता था कि गर्भपात की कोशिश दवाईयों से अथवा आंतरिक प्रक्रिया से की गई है। निश्चित राय हेतु संपूर्ण गर्भाशय और उसके अंदर पाए गए खून के थक्के सहित संरक्षित किया था। दोनों फेफड़ों के टुकड़े, हृदय, यकृत, दोनों गुर्दों के टुकड़े, अमाशय, भीतरी वस्तुएं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अंदर की वस्तुएं संरक्षित कर जांच हेतु आरक्षक को सौंपी थी।

20. इस साक्षी ने मुख्य कथन में अपना अभिमत लेख कराया है कि मृत्यु का कारण नैरोजैनिक शॉक है जो कि सैफ्टिनीनिया और कैमिकल रिएक्शन से हो सकता है। विसरा संरक्षित कर एफ.एस.एल. भेजा गया है, शव परीक्षण मृत्यु पूर्व 24-36 घंटे के भीतर किया था। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि दिनांक 16.03.2009 को थाना प्रभारी मलाजखण्ड द्वारा मृतिका सागनबाई की रिपोर्ट के आधार पर एक प्रश्न पूछा गया था कि शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण नैरोजैनिक शॉक जो सैफ्टिनीनिया एवं रिएक्शन से हो सकता है, के संबंध में सही कारण मृत्यु का क्या है पूछा गया था, के उत्तर में साक्षी ने क्यूरी कर जवाब भेजा था कि मृत्यु का सही कारण नैरोजैनिक शॉक जो कैमिकल रिएक्शन किसी दवाई द्वारा है, सैफ्टिनीनिया गर्भाशय की स्थिति के कारण होना संभावित है। गर्भाशय संरक्षित कर हिस्टोपैथॉलॉजिकल, कैमिकल



जॉच हेतु भेजा गया है। शरीर के बाकी अंग इस हेतु भेजे गए हैं उसमें इस दवाई की उपस्थिति है जिससे एलर्जिक रिएक्शन निर्मित हुआ है। शरीर में पाए गए छाले और शव के आंतरिक परीक्षण में कैमिकल ड्रग रिएक्शन द्वारा ही मृत्यु होना सही कारण है, क्यूरी रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

21. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6 के अंत में कथन किया है कि संपूर्ण शरीर में कैमिकल रिएक्शन मृत्यु के 24 घंटे के भीतर प्रारंभ हो जाती है। पद क्रमांक 7 में इंकार किया है कि मृत्तिका के शरीर पर जो ब्लिस्टर पाए गए वे सांप के काटने से हो सकते हैं। यह स्वीकार किया है कि गर्भपात देशी पद्धति से किया जाए तो मृत्तिका की गर्भाशय की स्थिति के होने की संभावना है। यह इंकार किया है कि गर्भाशय में कोई कैमिकल योनि से प्रवेश कराया जाए तो मृत्तिका के शरीर में जो छाले आए थे वैसे छाले आ सकते हैं। यह स्वीकार किया है कि जटिलता की दशा में उचित उपचार न करने की दशा में मृत्यु की संभावना रहती है। यह स्वीकार किया है कि मृत्यु के संबंध में निश्चित अभिमत न देकर अभिमत में संभावना व्यक्त की है। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि निश्चित अभिमत रासायनिक परीक्षण के बाद ही दिया जा सकता है। यह स्वीकार किया है कि मृत्तिका की मृत्यु रासायनिक ड्रग से होने की आशंका के आधार पर मृत्तिका का विसरा रासायनिक विश का पता लगाने के लिये संरक्षित कर रासायनिक परीक्षण की सलाह दी थी, भेजा था।

22. इंद्रमणी पटेल (अ.सा.7), बी.सी. बारिया (अ.सा.9) अन्वेषण अधिकारी हैं जिनकी साक्ष्य को अपील निराकरण हेतु लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

23. अपीलार्थी की ओर से श्री अब्दुल मलिक कुरैशी अधिवक्ता ने लिखित तर्क पेश किया, का अध्ययन किया गया, का तथ्यात्मक सार यह है कि मृत्तिका के पूर्व में 8 बच्चे थे वह पुनः गर्भवती हुई होगी जिसका देशी प्रक्रिया से गर्भपात कराए जाने से उसके गर्भाशय में जो खून के थक्के थे, में संक्रमण होने से उसकी मृत्यु हुई है, उसके लिए अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है, दायित्व नहीं है। अपीलार्थी के पास उपचार हेतु सक्षम डिग्री है, अपीलार्थी पर धारा 24

म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि विधि के विपरीत है, इसलिए उसे दोषमुक्त किया जावे। धारा 304-ए भा.द.वि. के अधीन भी अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है, साक्षियों द्वारा शपथ पर दिए गए कथन के मूल्यांकन में त्रुटि की है, न्यायदृष्टांतों की ओर ध्यान न देकर त्रुटि की है। प्रस्तुत लिखित तर्क के आधार पर और प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों के आधार पर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

24. राज्य की ओर से श्री डी.पी. बिसेन ए.पी.पी. ने मौखिक तर्क में निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य का मूल्यांकन सही किया है। मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है। अभिलेख पर आए तथ्यों को सही विचार में लिया है। किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलार्थी की ओर से पेश न्यायदृष्टांत इस अपील के मामले के तथ्य और परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। प्रतिपादित सिद्धांत अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दण्डादेश की पुष्टि किए जाने की याचना की है तथा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने की याचना की है।

25. रमेश बाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 1987 (11) एम. पी.वी.नो. 47 पेश कर निवेदन किया गया है कि पुलिस और अभियोक्ता ने गठबंधन किया है, समय के तथ्य का छलसाधन किया है इसलिए धारा 324 भा. द.वि. के मामले को संदेह से परे साबित न मानकर तथा अभियुक्त द्वारा घटनास्थल पर छोड़े गए शस्त्र को अभियुक्त से जप्त करना बताया गया है जो अप्राकृतिक होने के आधार पर दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया था। इस मामले में मार्ग सूचना पहले दर्ज है, मार्ग जाँच पश्चात् अपराध की कायमी है। इस मामले में समय को छल कर साधा गया है। किसी भी साक्षी के कथन में साक्ष्य नहीं है, न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, इसलिए प्रस्तुत न्यायदृष्टांत अपील के निराकरण हेतु अपीलार्थी को लाभ नहीं पहुंचाता है।

26. हरिदास विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2004 (11) एम.पी. वी.नो. 83 के प्लेसिटम नंबर 3 पर विशेष बल देते हुए न्यायालय

का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि प्रथम इत्तेला रिपोर्ट 24 घंटे देरी से दाखिल की गई, दूरी 30 कि.मी. थी, मोटर परिवहन उपलब्ध था, विलंब स्पष्टीकृत नहीं, इसलिए अभियोजन का मामला प्रभावित होता है। इसी न्यायदृष्टांत में प्लेसिटम नंबर 4 में यह प्रतिपादित किया है कि अभियोजन द्वारा दस्तावेज फाईल किया गया, किंतु साबित नहीं किया गया है। ऐसे दस्तावेज पर अभियुक्त के पक्ष में ध्यान दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध होने से मात्र जाति का नाम उच्चारित करना अपराध की कोटि में नहीं आता है, निष्कर्षित किया गया है। ऐसा तथ्य इस मामले में नहीं है, इसलिए विधिक दृष्टि से और तथ्यात्मक दृष्टि से यह मामला अपील के गुणदोष पर निराकरण हेतु मार्गदर्शी नहीं है।

27. जैकब मैथ्यू विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य ए.आई.आर. 2005 सु.को. 1381 की नेट से इंडियन लॉ लाईब्रेरी से प्राप्त प्रति पेश की, का अध्ययन किया गया। इस न्यायदृष्टांत के अनुसार दांडिक कार्यवाही में लापरवाही का आवश्यक बिंदु प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर है। चिकित्सीय उपचार प्राप्तकर्ता चिकित्सक के पक्ष में नहीं है, कि चिकित्सक की सर्जरी असफल हुई थी अथवा उसका उपचार गलत था तब चिकित्सक को क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी न्यायदृष्टांत में चिकित्सीय लापरवाही के 3 बिंदुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। धारा 304-ए भा.द.वि. के प्रावधान को उपरोक्त तीनों बिंदु के आधार पर निष्कर्षित किए जाने के संबंध में गहनता से विचार में लिया गया है, साक्षियों के कथन में चिकित्सक की लापरवाही के संबंध में साक्ष्य न होने पर उसे दोषमुक्त किया गया है। इसी न्यायदृष्टांत पर विश्वास करते हुए रूपलेखा विरुद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 2006 सी.जे. (एम.पी.) 1011 में निर्णय करते हुए रिवीजन स्वीकार कर दोषमुक्त किया गया है।

28. रूपलेखा विरुद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 2006 सी.जे. (एम. पी.) 1011 के मामले का अध्ययन किया गया। इस मामले में शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक एवं उनके दल द्वारा किए गए वैक्सीनेशन से बच्चों की मृत्यु हो जाने के आधार पर जे.एम.एफ.सी. उज्जैन द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 06.08.1999 को न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उज्जैन द्वारा क्रिमिनल अपील नंबर 107/1999 में दिनांक 26.06.2000 को निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय की निर्णय की पुष्टि किए जाने के विरुद्ध यह रिवीजन था।

29. इस मामले की संक्षिप्त कहानी के अनुसार दिनांक 08.09.1990 को पुलिस थाना जीवाजी गंज उज्जैन में सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 07.09.1990 को शासकीय डिस्पेंसरी टिपलीनाका क्षेत्र में उपचारार्थ वैक्सीन से कुछ बच्चों को भर्ती किया गया है, के आधार पर प्रथम सूचना लेख कर अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमें चार्जशीट पेश होने पर विचारण पश्चात् रूपलेखा अपीलार्थी तथा अन्य सह-अभियुक्तों को दंडित किया गया जिसमें डॉ. शिशिर कुमार और मनसुखलाल को प्रथम अपील में दिनांक 26.02.2000 को दोषमुक्त किया है और इस अपीलार्थी को दंडित किया है।

30. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा इस साक्ष्य पर विश्वास कर कि रूपलेखा ने कूकर में निडिल, सिरिज को उबाला था और कूकर में से सिरिज और इंजेक्शन निकालकर वैक्सीन लगाया गया था। इस प्रकार इस अपीलार्थी रूपलेखा की वैक्सीन लगाने के पहले की सावधानी जो वह कर सकती थी वह मुख्य कथन में ही साक्ष्य में होने से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा रूपलेखा के द्वारा किसी प्रकार की असावधानी होना न मानकर या लापरवाही न मानकर उसकी अपील स्वीकार कर ए.आई.आर. 2005 सु.को. 3180 जैकब मैथ्यू विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब का अवलंबन लेकर दोषमुक्त किया है।

31. सुरेश गुप्ता डॉ. विरुद्ध शासन एन.सी.टी. दिल्ली 2004 भाग-दो एम.पी.वी.नो. 100 सु.को. पेश किया, का अध्ययन किया गया। इस मामले में धारा 304-ए, 80 और 88 भा.द.वि. के विधिक बिंदु पर प्लेसिटम नंबर 3 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रोगी की शल्यक्रिया के दौरान मृत्यु — डॉक्टर आवश्यक सतर्कता, ध्यान तथा कौशल के अभाव के कारण विचारण के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता, दोषसिद्धि होने के लिए अपेक्षित उपेक्षा का स्तर इतना उच्च होना चाहिए कि वह घोर उपेक्षा या असावधानी के रूप में वर्णित की जा सकती हो। इस निर्णय का अध्ययन किया



गया। इस निर्णय को जैकब मैथ्यू विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य ए.आई. आर. 2005 सु.को. 3180 में विचार में लेकर उसे पद क्रमांक 6 में लेख कर अवलंबन लिया गया है। इन दोनों मामलों को रूपलेखा विरुद्ध स्टेट ऑफ एम. पी. के मामले में विचार में लेकर निर्णय किया गया है। तीनों न्यायदृष्टांतों में जो तथ्य उपलब्ध है वे तथ्य इस मामले के तथ्यों से भिन्न है।

32. इस आपराधिक अपील के मूल प्रकरण में लल्लू गिरी (अ.सा.1), अनिल (अ.सा.6), रामकुंवरबाई (अ.सा.15), डॉ. एच.के. पवार (अ.सा.4) तथा डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.8) के कथनों में आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा श्रीमती सागनबाई पत्नी लल्लू गिरी का उपचार बुखार के संबंध में किया गया है। इस उपचार के कारण सगनाबाई के हाथ में सूजन आना, दर्द होना, हाथ फूल जाना, अधिक पीड़ा होने पर अपीलार्थी को तकलीफ बताकर पुनः ईलाज करना, अपीलार्थी द्वारा मृतिका को और उसके पति को यह कहना कि ईलाज करेगा ठीक हो जाएगा, के पश्चात् सगनाबाई को बालाघाट उपचार करने के लिये जाने की सलाह देना। अपीलार्थी द्वारा सगनाबाई के हाथ में मल्हम लगाना, सूजन कम करने के लिये कमर में इंजेक्शन लगाना आदि साक्ष्य उपलब्ध है। डॉ. एच.के. पवार का कथन है कि सगनाबाई ने और साथ में आए लोगों ने यह बताया था कि अपीलार्थी ने उसका ईलाज किया है इसलिए हाथ ऐसा हुआ है। डॉ. पवार (अ.सा.4) ने लल्लू (अ.सा.1) को यह बताया था कि इंजेक्शन या दवाई का रिएक्शन हो चुका है। इस प्रकृति की साक्ष्य का कोई खंडन अभिलेख पर नहीं है।

33. अपीलार्थी द्वारा 3-4 दिन तक लगातार ईलाज किया गया है फिर भी इंजेक्शन लगे हुए हाथ की सूजन में कोई सुधार न होकर दवाइयों के रिएक्शन के आधार पर सागनबाई को अधिक तकलीफ हुई है। डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.8) की साक्ष्य के अनुसार सागनबाई के श्व का परीक्षण करने पर शरीर के जितने अंगो पर फफोले होना साक्ष्य दी है और उसका कारण रिएक्शन औषधि का होना साक्ष्य दी है, के असत्य होने के संबंध में कोई सुझाव नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से मृतिका का देशी उपचार द्वारा गर्भपात कराए जाने का आधार लिया गया है, के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उपचार नहीं किया गया है।

मृतिका को बुखार का ईलाज करने पर हाथ में दर्द, सूजन आकर शरीर पर अधिक कष्ट महसूस होने पर, मवाद इंजेक्शन वाले स्थान पर आने से उसके शरीर के अंदर इंजेक्ट दवाई से सागनबाई की मृत्यु होने की साक्ष्य अखंडनीय है।

34. बचाव पक्ष का यह आधार नहीं है कि सागनबाई का उपचार अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया है। प्रस्तुत न्यायदृष्टांत से अपील में कोई लाभ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 304-ए भा.द.वि. के अपराध हेतु निष्कर्षित दोषसिद्धि और दण्डादेश में तथ्य की, विधि की त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है।

35. परिणामतः धारा 24 म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम 1987 में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलैक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम के अधीन प्रायवेट प्रैक्टिस की जाने की पात्रता प्र.डी. 2-सी के दस्तावेज के आधार पर होने से इस अधिनियम की अपराध की सीमा तक प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी को धारा 24 म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम 1987 के अधीन पारित किए गए 01 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/-रुपए (दो हजार रुपए) के अर्थदण्ड के दण्डादेश को अपास्त किया जाता है तथा धारा 304-ए भा.द.वि. के अधीन निष्कर्षित दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि की जाती है।

36. अपीलार्थी आदिल रसीद ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक क्रमांक 23116/13 दिनांक 11.12.2015 द्वारा 2500/- (दो हजार पांच सौ) रुपए जमा किये हैं। अपील अवधि पश्चात् उक्त राशि में से अपीलार्थी के खाते में 2,000/-रुपए ई-भुगतान द्वारा जमा किए जावे।

37. निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

38. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर पंजी में परिणाम दर्ज करने प्रेषित किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित  
किया गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर